संख्या-276/2015/730जेपीआर/22-3-15-800(130)/2014

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2015***

विषय- जिला कारागार, गाजियाबाद के बंदी चमन सिंह पुत्र स्व0 बाबूसिंह, निवासी-ग्राम-ढोलपुर, थाना-बहादुरगढ़, जनपद-हापुड़ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद के बंदी चमन सिंह पुत्र स्व0 बाबूसिंह, निवासी-ग्राम-ढोलपुर, थाना-बहादुरगढ़, जनपद-हापुड़ को शासनादेश संख्या-251/2015/2455जेएल/22-3-15-800(130)/2014, दिनांक 21-09-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-276/2015/730जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in